संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– दै. भास्कर –पृष्ठ 08 दिनांक 18/03/2021

8 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त, अमले को डराने पानी मिला केरोसिन उड़ेला

अमृत सागर कॉलोनी टीआईटी के पास की जमीन से कब्जा हटवाया

भास्कर संवाददाता | रतलाम

मिडटाउन कॉलोनी की सरकारी जमीन को भू माफिया से मुक्त कराने के बाद जिला प्रशासन ने अमृत सागर कॉलोनी टीआईटी के पास की 8 करोड़ रुपए कीमत की 4 बीघा जमीन भी बुधवार को अतिक्रमणकर्ताओं से मुक्त करा ली। प्रारंभिक तौर पर फिलहाल इस जमीन को नगर निगम के आधिपत्य में दिया है। आगे जमीन किसे जमीन आवंटित करना है। इसका फैसला कलेक्टर लेंगे।

अमृतसागर कॉलोनी के पास फलाहारी बाबा का आश्रम है। उनके निधन के बाद इस जमीन को लेकर पिछले विवाद चल रहा था। चूंकि यह जमीन सरकारी है। इससे बुधवार दोपहर एक बजे जिला प्रशासन का अमला जेसीबी लेकर पहुंचा और अतिक्रमण हटाया। यहां एक मंदिर और एक दरगाह को छोड़कर सभी अतिक्रमणकारियों को हटा दिया है। इस दौरान लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी और अतिक्रमण हटा लिया। तीन बीघा जमीन पर पर गेहूं उगा रखे थे। प्रशासन ने इन्हें थ्रेशर से कटवाया। अब मंडी में इनकी नीलामी की जाएगी और इससे होने वाली आय सरकार के खाते में जमा की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।

अतिक्रमणकर्ता को दीनदयाल नगर थाना को सौंपा

अतिक्रमणकर्ता फकीर मोहम्मद पिता मोहम्मद शाकिर ने प्लास्टिक की कैन उठाई व शरीर पर केरोसिन उड़ेल दिया। लेकिन एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने उसे दीनदयालनगर थाना पुलिस को सौंप दिया। दीनदयाल नगर थाना टीआई अशोक ननामा ने बताया कि जो केरोसिन डाला उसमें पानी मिला हुआ था।

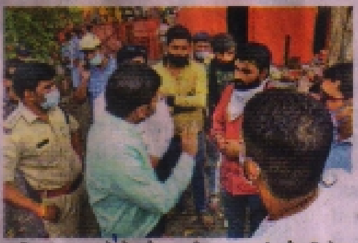

अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ लग गई और विरोध करने लगे। समझाते एसडीएम अभिषेक गेहलोत।

सरकारी जमीन को मुक्त कराया है : एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने बताया फिलहाल इसका आधिपत्य नगर निगम को दिया है। बजरंग दल के पूर्व विभाग संयोजक रामबाबू शर्मा ने बताया आश्रम पर 60 साल से फलाहारी महाराज साधना कर रहे हैं। शासन ने बिना नोटिस कार्रवाई की, जो गलत है।

संबल योजना के अपात्र व्यक्ति कलेक्टर के यहां अपील करें : श्रममंत्री

विधायक काश्यप ने विधानसभा में पूछा सवाल

सिंघम रिपोर्टर ☐ रतलाम

संबल योजना के अपात्र हितग्राही अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील का यह प्रावधान शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र में किया गया है।

यह जानकारी विधानसभा में विधायक चैतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में श्रम एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 01 अप्रैल 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। रतलाम नगर निगम क्षेत्र के 38,646 हितग्राही पंजीकृत किये गये थे। राज्य शासन द्वारा 20/09/2019 को दिये गये निर्देश पर चिन्हित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 23,375 अपात्र घोषित किये गये। शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को दिये गये नये निर्देश के अनुसार अपात्र चिन्हित व्यक्ति अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी पुनः सत्यापन के लिये जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के यहां अपील कर सकते हैं। पात्र पाये जाने पर वे योजना के लाभ के लिये फिर से आवेदन कर सकेंगे।

सिंघम-7

विधायक काश्यप ने विधानसभा में पूछा सवाल

संबल योजना के अपात्र व्यक्ति कलेक्टर के यहां अपील करें : श्रम मंत्री

रतलाम। संबल योजना के अपात्र हितग्राही अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। अपील का यह प्रावधान शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को जारी पत्र में किया गया है। यह जानकारी विधानसभा में विधायक चैतन्य काश्यप के सवाल के जवाब में श्रम एवं खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 01 अप्रैल 2018 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। रतलाम नगर निगम क्षेत्र के 38,646 हितग्राही पंजीकृत किये गये थे। राज्य शासन द्वारा 20/09/2019 को दिये गये निर्देश पर चिन्हित हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 23,375 अपात्र घोषित किये गये। शासन द्वारा 12 फरवरी 2021 को दिये गये नये निर्देश के अनुसार अपात्र चिन्हित व्यक्ति अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी पुनः सत्यापन के लिये जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अपर कलेक्टर के यहां अपील कर सकते है। पात्र पाये जाने पर वे योजना के लाभ के लिये फिर से आवेदन कर सकेंगे।

इन्दौर 17/3/21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार प्रसारण---पृष्ठ 25 दिनांक 18/03/2021

जिले के नागरिक कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेन्सिग का करें पालन

रतलाम। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्यतः करें। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले कोरोना संक्रमित मरीजों में वृद्धि होने से हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिले में वेक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फन्ट लाईन वर्कर के बाद अब 60 वर्ष अधिक आयु और 45 से 59 वर्ष के गंभीर बीमारी से पीड़ीत व्यक्तियों का वेक्सीनेशन किया जा रहा है। आप सभी अपनी बारी आने पर वेक्सनी अनिवार्य रूप से लगवायें।

कलेक्टर श्री डाड जिले के नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी हो रही है तो बिना किसी देरी के तुरंत ही नजदीक के फीवर क्लीनिक या शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं एवं अपना सेम्पल देकर कोरोना वायरस की जांच कराएं। सदैव मास्क का उपयोग करें, नियमित अंतराल पर अपने हाथो को साफ पानी एवं साबुन या सेनेटाइजर से साफ करें। इससे आप स्वंय को अपने बुर्जुग माता-पिता, अपने छोटे-छोटे बच्चो को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखते हुए कोरोना बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे।

दस वर्ष तक के बच्चो तथा वृद्धजनों एवं गंभीर बीमारियां जैसे ह्रदय रोग, कैंसर, डायबिटिज, टीबी, किडनी रोग, लीवर रोग से पीड़ित व्यक्तियों में बीमारी का खतरा अधिक होता है अतः ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपना नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाओं का सेवन नियमित रूप से करते रहें। किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आएं ना ही अफवाह फैलाएं, घबराएं नहीं सावधानी ही सुरक्षा है। प्रसारण

129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही

रतलाम। कोविड 19 बीमारी को वैश्विक महामारी के रुप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में रतलाम शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण की रोकथाम हेतु शहर में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के दस दल गठित किए गए हैं, जो शहर के थाना क्षेत्रवार में चालानी कार्यवाही करेंगे। इसी तारतम्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से चालानी कार्यवाही करते हुए बिना मास्क के पाए गए 53 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड आरोपित किए गए। 16 मार्च को शहर में 129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि इस प्रकार यदि अब कोई व्यक्ति रतलाम शहर में कोविड 19 की गाईड लाईन का पालन नहीं करता है तो उन्हें अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी।

18/3/21

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–पत्रिका–––पृष्ठ 21 दिनांक 18/03/2021

कलेक्टर ने आमजन से की अपील, कहा मास्क लगाए और सोशल डिस्टेसिंग का करें पालन

पत्रिका

रात 10 बजे बाद लोगों ने स्वयं बंद की दुकानें

लगातार

पत्रिका

पत्रिका में प्रकाशित

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देश के बाद बुधवार रात 10 बजे बाजार बंद हो गए। अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने योग पर घर जाने की समझाइश दी तो जो दुकानें खुली थी उन्हें भी बंद करने की बात कही। वहीं कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने आमजन से अपील की है कि कोरोना के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करें।

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना मरीजों में वृद्धि होने से हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फन्ट लाईन वर्कर के बाद अब 60 वर्ष अधिक आयु और 45 से 59 वर्ष के गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है।

नम्बर आने पर लगवाएं वैक्सीन

आप सभी अपनी बारी आने पर वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाए। यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी हो रही है तो बिना किसी देरी के तुरंत ही नजदीक के फीवर क्लीनिक या शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं एवं अपना सेम्पल देकर कोरोना वायरस की जांच कराएं।

जिले में 35 हजार को लगे टीके

जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हर दिन लोग टीका लगवाने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं लेकिन इनकी संख्या थोड़ी कम है। जिले में अब तक कुल 35436 लोगों को टीके लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 6881 लोगों का दूसरा टीका पूर्ण हो चुका है। वहीं टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत बुधवार को 3164 लोगों का टीकाकरण किया गया।

कहां कितने टीके लगे

बुधवार को किए गए टीकाकरण के दौरान बाल चिकित्सालय रतलाम में 637 और मेडिकल कॉलेज में 421 लोगों को टीके लगाए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखेडा में 100, पीएचसी रावटी में 87 और पीएचसी धराड में 85 लोगों ने टीके लगवाए। वहीं सीएचसी खारवाकलां में 50, सीएचसी बाजना में 45, पीएचसी सरवन में 13 लोगों को टीके लगाए गए।

संकट प्रबंधन समूह की बैठक आज

- कोविड-19 के संबंध में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक 18 मार्च गुरुवार को सांय 5.30 बजे नवीन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रखी गई है।

पुलिस ने लोगों को दी मास्क पहनने की समझाइश

कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के बीच प्रदेश के कुछ महानगरों में नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रतलाम में भी पुलिस और प्रशासन इसे लेकर सतर्क हो गया है। महामारी के चलते पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर मास्क अनिवार्य रूप से पहनने की हिदायत दी। पावर हाउस रोड सब्जी मंडी के बाहर लगी दुकानों पर पहुंच कर स्टेशन रोड पुलिस थाने के अधिकारियों ने दुकानदारों को एकत्र कर उन्हें मास्क पहनने की समझाइश दी और बताया कि उनके यहां आने वाले ग्राहकों को भी आप खुद समझाए की मास्क पहनना जरूरी है। मास्क पहन कर ही दुकान से खरीददारी करे।

कोरोना से बचाव के उपाय करें : डॉ. नरोत्तम मिश्रा

प्रसारण· दूज * रतलाम

प्रदेश के गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विधायी मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर 17 मार्च को रतलाम आए। यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कोरोना को लेकर जागरूक होने की बात कही।

मीडिया से चर्चा करते हुए गृह मंत्री श्री मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण और नई गाइडलाइन को लेकर कहा कि सरकार जनता को जागरूक कर सकती है। रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का भी यही उद्देश्य की कोरोना को लेकर जो लापरवाही हो रही है वह खत्म हो सके और लोग जागरूक हो। बार- बार हाथ धोना, लोगों से सुरक्षित दूरी रखना और कोरोना के अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। वैक्सीन आने के बाद जिस तरह की लापरवाही बढ़ी है उससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सभी को लापरवाही को छोड़कर जागरूक होना होगा।

कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार ने प्रदेश से कई गैंग का खात्मा कर दिया है। माफिया पर निरंतर कार्रवाई जारी है। सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है।

सीवरेज प्रोजेक्ट पर जनहित याचिका

रतलाम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इंदौर खंडपीठ में ये याचिका दायर की थी, लेकिन जबलपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ में याचिका विचाराधीन होने से रतलाम की याचिका की सुनवाई भी वहीं होगी। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन दे दिया हैं।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार रतलाम का सीवरेज प्रोजेक्ट आरंभ से गड़बड़ियों का शिकार रहा है। इससे आम जनमानस को न केवल अभी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपितु भविष्य में कई परेशानियां देखना पड़ सकती है। इन्हीं तथ्यों को लेकर बैंक कालोनी निवासी मुस्तफा स्टेशनवाला एवं एडवोकेट कपिल मजावदिया ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे याचिका क्रमांक 18002-20 पर दर्ज किया गया है। इस याचिका में मध्य प्रदेश शासन की ओर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव एवं नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर रतलाम एवं सीवरेज प्रोजेक्ट का काम कर रही ठेकेदार कंपनी जय वरूडी इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया हैं।

याचिकाकर्ता के अभिभाषक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया कि इंदौर खंडपीठ में युगल बैंच के जज सुजाय पाल एवं शैलेन्द्र शुक्ला ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर जबलपुर में याचिका विचाराधीन होने पर समान प्रकृति का होने से इसे मुख्य खंडपीठ में स्थानांतरित करने को कहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिका में रतलाम में हो रहे सीवरेज के काम को मापदंडों से विपरीत बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उनमें भी बदलाव किए जाने से समस्या आएगी, क्योंकि सीवरेज प्लांट की संख्या 6 घटाकर 2 कर दी गई है। याचिका में इस बात पर भी कड़ी आपत्ति की गई है कि अक्टूबर 2017 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर जिन खामियों को दूर करने को कहा था, उन पर राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। ७/१२/१९

नईदुनिया

लापरवाही बरतना ठीक नहीं, पहनने के बजाय जेब में रख रहे मास्क

कोरोना का खतरा कायम है : रात दस बजे बंद कराए बाजार, 29 नए मरीज मिले, बाजारों में भीड़ ज्यादा, सावधानी कम

नईदुनिया लाइव

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग अब भी मास्क पहनने में लापरवाही कर रहे हैं। दुकानों, बाजार सहित सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का पालन करने में हो रही अनदेखी का नतीजा है कि मार्च के नौ दिनों में ही 185 नए मरीज आ गए हैं। बचाव के लिए अभी मास्क ही वैक्सीन है। ऐसा नहीं करने पर हम दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं।

बुधवार दोपहर करीब एक बजे चांदनीचौक व आसपास खासी भीड़ रही, लेकिन खरीदारी करने आए लोगों ने मास्क नहीं पहने। कुछ की जेब में मास्क था। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए टोकने में रुचि नहीं दिखाई। चौमुखीपुल क्षेत्र में कचौरी-समोसे की दुकानों पर बेपरवाही से लोगों की भीड़ लगी रही। वहां भी इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने नजर आए। कुछ ने पहनने के बजाए मास्क गले में लटकाए रखा।

पेट्रोल पंप पर विवाद

कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि मास्क पहनकर आने वालों को ही डीजल-पेट्रोल दिया जाए। इस आदेश के पालन को लेकर पंप संचालक असहाय नजर आ रहे हैं। टोकने-टोकने पर विवाद हो रहे हैं। मंगलवार को चालानी कार्रवाई के बाद महू रोड स्थित दो पंप पर स्थिति कुछ ठीक रही लेकिन शेष जगह विवाद होते रहे।

बाल चिकित्सालय में कोरोना टीका लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए बुजुर्ग। • नईदुनिया

नौ दिन में इस तरह मिले

तारीख	सैंपल	पाजिटिव	मृत	स्वस्थ	एक्टिव
09 मार्च	283	15	01	05	69
10 मार्च	235	19	00	02	86
11 मार्च	120	15	00	07	94
12 मार्च	331	16	01	08	101
13 मार्च	369	24	00	01	124
14 मार्च	142	21	00	07	138
15 मार्च	390	25	00	08	155
16 मार्च	368	29	00	09	175
17 माच	450	29	00	08	196

100 से अधिक व्यक्तियों के आयोजन की अनुमति जरूरी

जिले में खुले मैदान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होने वाले हैं, उनकी पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य किया गया है।

जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आज

कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक आज शाम 5:30 बजे बजे नवीन कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रखी गई है।

अब तक 35436 टीके लगे

जिले में बुधवार को 3164 लोगों का टीकाकरण किया गया। बाल चिकित्सालय रतलाम में 637 और मेडिकल कालेज में 421, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुखेड़ा में 100, पीएचसी रावटी में 87 और पीएचसी धराड में 85 लोगों ने टीके लगवाए। इसी तरह सीएचसी खारवाकलां में 50, बाजना में 45, पीएचसी सरवन में 13 टीके लगे। गुरुवार और शनिवार को भी टीकाकरण होगा। सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि टीकाकरण सत्रों के लिए 8080 लोगों को एक दिन में टीके लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिन फ्रंटलाइन वर्कर को 8 फरवरी से 17 फरवरी के मध्य पहला टीका लग चुका है, वे दूसरा टीका सीधे लगवा सकते हैं।

चांदनीचौक क्षेत्र में बगैर मास्क पहने बाजार में घूमते लोग। • नईदुनिया

ये सावधानी रखें

- सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी हो तो बिना किसी देरी के नजदीक के फीवर क्लीनिक या शासकीय स्वास्थ्य संस्था में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कराएं।
- सदैव मास्क का उपयोग करें, नियमित अंतराल पर अपने हाथों को साफ पानी एवं साबुन से साफ करें।

17 दिन में 241 मामले

जिले में बुधवार को कोरोना के 29 नए मरीज मिले। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फरवरी में लगातार मामले कम मिल रहे थे और मार्च में हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को 450 सैंपलों की जांच रिपोर्ट मिली। अब संक्रमितों का आंकड़ा 4668 पहुंच गया है। आठ मरीजों के डिस्चार्ज होने पर कुल 4388 स्वस्थ हुए जबकि 84 की मौत हुई। मार्च के 17 दिन में 241 नए मामले मिले, 79 स्वस्थ हुए और दो की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 196 हो गई है। 24 घंटे में लक्कड़पीठा, शक्ति नगर, धान मंडी, हाथी खाना, शुभम रेसिडेंसी, टीआइटी रोड, शास्त्री नगर, जैन कालोनी, जवाहर नगर, गांधी नगर, सिद्धार्थ नगर, आफिसर कालोनी, कस्तूरबा नगर, टैगोर कालोनी, न्यू रेलवे कालोनी, महावीर नगर, बालाजी नगर, सेंट्रल प्लाजा, दौलतगंज, इंदिरा नगर, अरिहंत कालोनी, दीनदयाल नगर और जावरा में नए मरीज मिले हैं।

> "वैक्सीन आ गई है, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। हमने सभी व्यापारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कहा है। लगातार जागरूकता के लिए प्रयास भी कर रहे हैं।
> –मनोज झालानी, जिलाध्यक्ष थोक किराना व्यापारी संघ

> – वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए शारीरिक दूरी रखने का पालन करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करें। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है।
> –गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर रतलाम"

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार दै. भास्कर पृष्ठ 17 दिनांक 18/03/ 2023

पट्टे बांटने के लिए शहरी क्षेत्रों में जमीन का प्रकार बदलेगा

नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार की कवायद

भास्कर न्यूज | भोपाल

शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर काबिज पात्र लोगों को पट्टे देने के लिए जमीन के प्रकार में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिस सरकारी जमीन पर उसके प्रकार की समस्या के कारण पट्टा आवंटन में कठिनाई है, वहां सक्षम अधिकारी मप्र भू-राजस्व संहिता एवं अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार कानूनन नोईयत (जमीन के प्रकार) परिवर्तन की कार्यवाही करें। बता दें कि सरकार ने दिसंबर 2014 के पहले से सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को पट्टे दिए हैं। ऐसे करीब साढ़े तीन लाख पट्टे बांटे जा चुके हैं। अब भी 20 हजार से ज्यादा लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया है।

शेष | पेज 7 पर

अभी यह है पट्टे का नियम

नियमों में शहरी क्षेत्र में नजूल, निकाय या विकास प्राधिकरणों की जमीन पर ही पट्टे देने का प्रावधान है। इसके अलावा राजस्व, वन, पत्थर, उद्योग आदि की जमीन हो सकती है, जिस पर नियम के अनुसार पट्टे नहीं दिए जा सकते। इसके साथ ही एक अन्य समस्या उन क्षेत्रों में आ रही है, जो पहले ग्रामीण इलाके थे और अब शहरी क्षेत्र में आ गए। पट्टाधृति नियम में आबादी क्षेत्र में पट्टे देने का प्रावधान नहीं है।

पट्टे बांटने के लिए शहरी क्षेत्रों में जमीन...

इसका कारण यह है कि वे जिस जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, वो नजूल, निकाय या प्राधिकरण की नहीं है।

जून तक पट्टे बांटने का लक्ष्य–*कुछ स्थानों पर पट्टे बांटने में समस्या आई है। इसके लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया है। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृत हो चुका है, लेकिन पट्टा न होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। जून तक पट्टे बांटने का लक्ष्य तय किया है।*

- निकुंज श्रीवास्तव, आयुक्त, नगरीय प्रशासन

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नईदुनिया––पृष्ठ 02 दिनांक 18/03/2021

आज पांच टंकियों से होने वाला जल वितरण कल होगा

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। खेतलपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 33 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेने के लिए मंगलवार दोपहर 12 से शाम 7:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखने से शहर में पानी की टंकियों में आपूर्ति नहीं होने का असर गुरुवार को भी रहेगा। बुधवार को गौशाला टंकी, गंगासागर टंकी, महावीर नगर टंकी व काटजू नगर टंकी से होने वाली सप्लाई गुरुवार को की जाएगी जबकि गुरुवार को पांच टंकियों से होने वाला जलवितरण अब शुक्रवार को होगा।

शिवशंकर नगर क्षेत्र में टैंकर से पानी भरते हुए रहवासी।

इन क्षेत्रों में कल मिलेगा पानी

1- गौशाला टंकी: सैनिक कालोनी, टीचर कालोनी, टाटा नगर, बाजना बस स्टैंड, जैन स्कूल के सामने, गोपाल गौशाला, धीरजशाह नगर गली नंबर एक, चांदनी चौक, बोहरा बाखल, घांस बाजार, चौमुखी पुल, हनुमान रुंडी, कसारा बाजार, सुनार बावड़ी, त्रिपोलिया गेट, लक्कड़पीठा, सुतारों का वास, मराठों का वास, ईदगाह, गौशाला रोड, राम भवन, टाटा नगर संपूर्ण, अमृत सागर, दीनदयाल नगर ए, बी, जी, एच, एम, बाजना बस स्टैंड, सिलावटों का वास, गवली मोहल्ला, खान बावड़ी, पोरवाड़ों का वास, सायर चबूतरा व ओझाखाली।

2- गंगासागर टंकी: लक्ष्मणपुरा, पीएनटी कालोनी, जवाहर नगर, जवाहर नगर सी कालोनी, जवाहर नगर ईएक्स कालोनी, जनता कालोनी, इंदिरा नगर, गोपाल नगर, क्रिश्चियन कालोनी, राजीव नगर, ग्लोबस कालोनी, पुनम विहार अंबर किराना मेन रोड।

3- महावीर नगर टंकी से कुली कालोनी।

4- गांधी नगर टंकी से संपूर्ण गांधी नगर क्षेत्र।

5- ग्लोबस टंकी: शिव नगर, सर्वोदय नगर, भारत गैस गोदाम के पास, राम नगर टैंकर रोड, कृष्णा विहार, विनोबा नगर झुग्गी झोपड़ी, श्रद्धा नगर, भवानी नगर, बाणेश्वरी टैंकर रोड क्षेत्र। नईदुनिया

चार टंकियों से आज नहीं होगा जल प्रदाय, 19 मार्च को नियत समय पर होगा जल प्रदाय

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. खेतलपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 33 केवी उच्चदाब का विद्युत कनेक्शन होने से मंगलवार को दोपहर 12 से शाम7:30 बजे तक विद्युत प्रवाह बंद रहने के कारण धोलावाड़ के पम्प बंद रहे गौशाला टंकी, गंगासागर टंकी, महावीर नगर टंकी व काटजू नगर टंकी को भरने का कार्य प्रभावित हुआ 18 मार्च को किया जाने वाला जलप्रदाय अब 19 मार्च को नियत समय पर किया जायेगा।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया गौशाला टंकी से सैनिक कालोनी, टीचर कालोनी, टाटा नगर, बाजना बस स्टैण्ड, जैन स्कूल के सामने, गोपाल गौशाला, धीरजशाह नगर गली नम्बर 1, चांदनी चौक, बोहरा बाखल, घांस बाजार, चौमुखी पुल, हनुमान रुण्डी, कसारा बाजार, सुनार बावड़ी, त्रिपोलिया गेट, लक्कड़पीठा, सुतारो का वास, मराठो का वास, ईदगाह, गौशाला रोड, राम भवन, टाटा नगर संपूर्ण, अमृत सागर, दीनदयाल नगर ए, बी, जी, एच, एम, बाजना बस स्टैण्ड,सिलावटो का वास, गवली मोहल्ला, खान बावड़ी, पोरवाड़ो का वास,सायर चबुतरा व ओझाखाली, गंगासागर टंकी से लक्ष्मणपुरा, पीएनटी कालोनी, जवाहर नगर, जवाहर नगर सी कालोनी, जवाहर नगर ईएक्स कालोनी, जनता कालोनी, इंदिरा नगर, गोपाल नगर, रि श्चियन कालोनी, पुनम विहार अम्बर किराना मैन रोड, महावीर नगर टंकी से कुली कालोनी, गांधी नगर टंकी से संपूर्ण गांधी नगर क्षेत्र, ग्लोबस टंकी से शिव नगर, सर्वोदय नगर, भारत गैस गोदाम के पास, राम नगर टैंकर रोड, कृष्णा विहार, विनोबा नगर झुग्गी झोपडी श्रद्धा नगर, भवानी नगर, बाणेश्वरी टैंकर रोड क्षेत्र में 18 मार्च को किया जाने वाला जलप्रदाय 19 मार्च को नियत समय पर किया जायेगा।

पत्रिका

रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट पर जनहित याचिका, जबलपुर में होगी सुनवाई

सीवरेज प्रोजेक्ट आरंभ से गड़बड़ियों का शिकार, भविष्य में कई परेशानियां

रतलाम ● स्वदेश समाचार

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इंदौर खंडपीठ में ये याचिका दायर की थी, लेकिन जबलपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ में याचिका विचाराधीन होने से रतलाम की याचिका की सुनवाई भी वहीं होगी। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन दे दिया हैं।

रतलाम का सीवरेज प्रोजेक्ट आरंभ से गड़बड़ियों का शिकार रहा है। इससे आम जनमानस को ना केवल अभी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपितु भविष्य में कई परेशानियां देखना पड़ सकती है। इन्हीं तथ्यों को लेकर बैंक कॉलोनी निवासी मुस्तफा स्टेशनवाला एवं एडवोकेट कपिल मजावदिया ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे याचिका क्रमांक 18002-20 पर दर्ज किया गया है। इस याचिका में मध्य प्रदेश शासन की ओर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव एवं नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर रतलाम एवं सीवरेज प्रोजेक्ट का काम कर रही ठेकेदार कंपनी जय वरूडी इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया हैं।

याचिकाकर्ता के अभिभाषक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया कि इंदौर खंडपीठ में युगल बैंच के जज सुजाय पाल एवं शैलेन्द्र शुक्ला ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर जबलपुर में याचिका विचाराधीन होने पर समान प्रकृति का होने से इसे मुख्य खंडपीठ में स्थानांतरित करने को कहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिका में रतलाम में हो रहे सीवरेज के काम को मापदंडों से विपरीत बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उनमें भी बदलाव किए जाने से समस्या आएगी, क्योंकि सीवरेज प्लांट की संख्या 6 घटाकर 2 कर दी गई है। याचिका में इस बात पर भी कड़ी आपत्ति की गई है कि अक्टूबर 2017 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर जिन खामियों को दूर करने को कहा था, उन पर राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इससे शहरवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

शासन ने माना बेतरतीब तरीके से हुआ कार्य

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम में सीवरेज कार्यों का निरीक्षण कर 2 अक्टूबर 2017 को जो प्रतिवेदन दिया। उसमें स्पष्ट लिखा था कि बेतरतीब तरीके से कार्य किए जाने की स्थिति परिलक्षित हुई है। इस प्रतिवेदन में कई तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिए थे कि जब तक उपकरण पूरे नहीं हो, तब तक नई खुदाई नहीं की जाए, लेकिन इसके बाद भी सभी नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार ने कार्य किया। प्रमुख अभियंता ने स्तरहीन कार्य को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए थे, लेकिन उनका भी पालन नहीं हुआ। इस प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख था कि नगर निगम के इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी। यदि एक महीने में सारी स्थिति को ठीक नहीं करता है, तो उसका ठेका निरस्त किया जाए और प्रावधान अनुसार उसके विरुद्ध पेनल्टी लगाई जाए, मगर लेकिन नगर निगम द्वारा जिम्मेदारी दिए जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

स्वदेश

सूचना के अधिकार पर भी याचिका लंबित

नगर निगम रतलाम के खिलाफ सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर सूचना के अधिकार पर भी उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। एडवोकेट कपिल मजावदिया द्वारा इस संबंध में जो जानकारी मांगी गई थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग ने निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई। इससे असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

अमृतसागर के पास चार बीघा सरकारी जमीन खाली कराई

विरोध कर रहे युवक ने खुद पर तेल डालकर की आग लगाने की कोशिश, पुलिस पकड़कर थाने ले गई

रतलाम(नईदुनिया प्रतिनिधि)। अमृत सागर तालाब के समीप शासकीय जमीन पर स्थित फलाहारी बाबा के आश्रम व आसपास हुए अवैध निर्माण बुधवार को प्रशासन के अमले ने हटा दिए। कार्रवाई कर चार बीघा जमीन मुक्त कराई गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब आठ करोड़ रुपये है। दोपहर करीब एक बजे शुरू हुई कार्रवाई शाम छह बजे तक चलती रही। भूमि रिक्त कराने के बाद फेंसिंग कर नगर निगम को आधिपत्य में दी गई है। कार्रवाई के दौरान एक युवक ने विरोध करते हुए खुद पर तेल डाल लिया। पुलिस ने उसे पकड़ा और थाने पर ले गए।

मालूम हो कि शहर कस्बा सर्वे क्रमांक 700 व 701 की 0.830 भूमि शासन रिकार्ड में नजूल के नाम पर है। इस भूमि पर कई वर्षों से फलाहारी बाबा का एक आश्रम, मंदिर व कुछ अन्य निर्माण थे जबकि पास में एक सर्विस सेंटर, मजार व कुछ कच्चे मकान भी थे। जमीन सरकारी होने की बात सामने आने पर बुधवार दोपहर करीब एक बजे एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार शहर अनिता चोकोटिया, निगम कार्यपालन यंत्री जीके जायसवाल, दीनदयाल नगर थाना प्रभारी अशोक नगावा, पटवारी तेजवीरसिंह चौधरी सहित राजस्व व पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा। इसके बाद मंदिर व मजार को छोड़कर शेष सभी निर्माण जेसीबी की सहायता से हटा दिए गए।

अमृत सागर तालाब के समीप शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान आत्मदाह की कोशिश करने वाले युवक को पकड़ती पुलिस। ●नईदुनिया

शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाती जेसीबी। ●नईदुनिया

मकान तोड़ने से नाराज हुआ युवक

कार्रवाई के दौरान दरगाह के समीप का मकान व अन्य निर्माण भी तोड़ा गया। वहां रहने वाले परिवार के हाकिम पुत्र शाकिब मोहम्मद ने विरोध जताते हुए खुद पर तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद माणक चौक थाना प्रभारी अय्यूब खान, हाट की चौकी प्रभारी आशीष पाल, रोशन राठौर आदि ने युवक को पकड़ा और दीनदयाल नगर थाने भेजा। इससे कुछ देर तक हड़कंप मच गया।

निजी जमीन दर्ज कराने की तैयारी थी

फलाहारी बाबा आश्रम की भूमि रिकार्ड में नजूल के नाम पर है, लेकिन इस पर अवैध कब्जे के प्रयास किए जा रहे थे। कुछ दस्तावेजों की आड़ में जमीन निजी होने का हवाला भी दिया गया। विवाद के बाद प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद कार्रवाई की गई। कुछ लोगों ने दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने मान्य नहीं किए। आश्रम समिति के रामबाबू शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने बगैर सूचना के कार्रवाई की। फलाहारी बाबा का आश्रम 60 वर्षों से ज्यादा समय से यहां है।

चार दिन पहले हुआ था विवाद

12 मार्च की रात आश्रम में कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे राष्ट्रीय स्वयं संघ प्रवासी समुदाय विमुक्त घुमक्कड़ जाति के मालवा प्रांत संयोजक शेरसिंह सिसौदिया निवासी संजय कालोनी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। सिसौदिया की रिपोर्ट पर आरोपित विनय भाटी गोविंदा पुत्र किरण भाटी, महेश पुत्र देवकरण, पवन पुत्र आनंद खरे, काला पुत्र आनंद खरे, विकास, मुन्ना चरमेवाला, ललित, विनय भाटी निवासी सिलावटों का वास आदि के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।

गेहूं कटवाए, मंडी में बेचेंगे

खाली जमीन पर गेहूं की फसल भी बोई गई थी। प्रशासन ने मौके पर ही गेहूं की कटाई करवाई और अब गेहूं मंडी में बेचकर जो राशि मिलेगी उसे शासकीय खजाने में जमा कराया जाएगा।

> शासकीय जमीन रिक्त कराई है। मंदिर व मजार दोनों सुरक्षित है। फिलहाल भूमि का आधिपत्य नगर निगम को दिया गया है।
>
> –अभिषेक गहलोत, एसडीएम शहर

3 करोड़ राशन कार्ड रद्द होना गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्यों से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 17 मार्च. सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को बुधवार को 'अत्यंत गंभीर' मामला बताया और इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा.

चीफ जस्टिस (सीजेआई) एस ए बोबडे और जस्टिस ए सी बोपन्ना एवं जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की बेंच ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. बेंच ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई होगी. सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि याचिका एक बड़े मामले को उठाती है. सीजेआई ने कहा, ''बॉम्बे हाईकोर्ट में भी मेरे सामने इसी प्रकार का मामला आया था. मुझे लगता है कि यह मामला संबंधित हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था.'' पीठ ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है.

यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं, सुनवाई करेंगे

बेंच ने कहा, हम आपसे (केंद्र से) आधार कार्ड मामले के कारण जवाब मांग रहे हैं, यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है. हम अंततः इस पर सुनवाई करेंगे. नोटिस जारी किए जाएं, जिन पर चार सप्ताह में जवाब दिया जाए. लेखी ने कहा कि इस मामले में नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और केंद्र का जवाब रिकॉर्ड में है. गोंजाल्विस ने कहा कि नोटिस मुख्य याचिका पर नहीं, बल्कि वैकल्पिक शिकायत निस्तारण पर जारी किया गया था.

2019 में दायर की गई थी जनहित याचिका

उन्होंने कहा, ''मुख्य मामला तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द किया जाना और भूख से मौत होना है.'' शीर्ष अदालत ने नौ दिसंबर, 2019 में वैध आधार कार्ड नहीं होने पर राशन आपूर्तियों से वंचित किए जाने के कारण लोगों की मौत होने के आरोप को लेकर सभी राज्यों से जवाब मांगा था. यह याचिका देवी ने दायर की है, जिसकी झारखंड में 11 साल की बेटी संतोषी की भूखे रहने के कारण 28 सितंबर, 2018 को मौत हो गई थी. संतोषी की बहन गुड़िया देवी मामले में संयुक्त याचिकाकर्ता है.

2007 में राशन मिलना हो गया था बंद

याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने उनका राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण रद्द कर दिया था. इसके कारण उनके परिवार को मार्च 2007 से राशन मिलना बंद हो गया था और पूरा परिवार को भूखे रहने पर मजबूर होना था. उनकी बेटी संतोषी की भोजन नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि गोंसाल्वेस ने यह गलत बयान दिया कि केंद्र ने राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं.

सुनवाई | तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द करने और भूख से हुई मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब तलब

नई दिल्ली ■ एजेंसी

राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने पर करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मामला बताया है और केंद्र सरकार के साथ- साथ राज्य सरकारों से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए सी बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने कहा, इसे विरोध के तौर पर नहीं देखना चाहिए। यह मामला बेहद गंभीर है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

हम आधार कार्ड के मामले में सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है कि इन सवालों के जवाब दें।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने इस संबंध में बताया कि इस मामले में नोटिस पहले भी जारी किया था और जवाब भी आया जो रिकार्ड में है। जबकि वकील वकील गोंजाल्विस ने कहा, नोटिस मुख्य याचिका पर नहीं है बल्कि वैकल्पिक शिकायत को खत्म करने के लिए जारी किया गया था

मामला मुख्य रूप से तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द होना और भूख से हुई मौत पर है। सुप्रीम कोर्ट में भूख से हुई मौत को लेकर याचिका दायर हुई जिसमें संयुक्त याचिकाकर्ता संतोषी की बहन गुड़िया देवी भी शामिल हैं।

झारखंड में 11 साल की इस बच्ची की मौत हो गयी थी। इस याचिका में कहा गया है कि आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। इस वजह से उन्हें मार्च 2017 से ही राशन मिलना बंद हो गया था।उनकी बेटी संतोषी की भोजन ना मिलने की वजह से मौत हो गयी।

वकील ने कहा, मामले का दायरा बढ़ा दिया

इस मामले में वकील कोलिन गोंजाल्विस ने बताया कि यह मामला किसी एक राज्य का नहीं है। बाम्बे हाईकोर्ट में भी मेरे साथ यही समस्या आयी थी। मुझे लगता था इसे संबंधित हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए। पीठ ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है।

२१५

129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही

रतलाम । कोविड 19 बीमारी को वैश्विक महामारी के रुप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में रतलाम शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है।

संक्रमण की रोकथाम हेतु शहर में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के दस दल गठित किए गए हैं, जो शहर के थाना क्षेत्रवार में चालानी कार्यवाही करेंगे। इसी तारतम्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से चालानी कार्यवाही करते हुए बिना मास्क के पाए गए 53 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड आरोपित किए गए। 16 मार्च को शहर में 129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि इस प्रकार यदि अब कोई व्यक्ति रतलाम शहर में कोविड 19 की गाईड लाईन का पालन नहीं करता है तो उन्हें अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी। टेप17

बिना मास्क वाले 129 लोगों के चालान बनाए

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

कोविड 19 बीमारी को वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में रतलाम शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण की रोकथाम हेतु शहर में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के दस दल गठित किए गए हैं, जो शहर के थाना क्षेत्रवार में चालानी कार्यवाही करेंगे। इसी तारतम्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से चालानी कार्यवाही करते हुए बिना मास्क के पाए गए 53 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड आरोपित किए गए। 16 मार्च को शहर में 129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि इस प्रकार यदि अब कोई व्यक्ति रतलाम शहर में कोविड 19 की गाईड लाईन का पालन नहीं करता है तो उन्हें अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी। दबंग-17

संकलन—नगर निगम, रतलाम अखबार राज एक्सप्रेस पृष्ठ 10 दिनांक 18/03/2021

जमीन विवाद में कुछ दिन पहले चली थी लाठियां, करोड़ों जमीन मुक्त कराई

अवैध अतिक्रमण हटाने गए अमले के सामने युवक ने आत्मदाह करने का किया प्रयास

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

अमृत सागर बगीचे के पास पिछले दिन हुए विवाद के बाद राजस्व विभाग, नगर निगम एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए करोड़ों की जमीन पर शिकायत मिलने के बाद अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जहां एक युवक द्वारा अतिक्रमण तोड़ने का विरोध करते हुए अपने आप पर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने की प्रयास किया। जिसे पुलिस द्वारा बड़ी मशक्कत से बचाया गया और युवक को थाने भेजा गया युवक पर जो भी विधिवत कार्यवाही होगी प्रशासन करेगा वही इस बड़ी कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।

विवाद में लाठिया और पत्थर बरसे ...

जानकारी के अनुसार दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के अमृत सागर रोड पर कुछ दिनों पूर्व ही फलहारी बाबा आश्रम जो नजूल पर बना है। इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था जिसमें लाठियां और पत्थर बरसे थे जहां एक व्यक्ति को सर पर चोट भी आई थी। जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल जमीन को प्रशासन द्वारा इस जमीन को नगर निगम को सौंपी दी गई है। नगर निगम के हित में कोई अच्छी योजना बनाकर उक्त जमीन का उपयोग किया जाएगा। २।७

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– अवन्तिका –पृष्ठ 26 दिनांक 18/03/2021

अवन्तिका

कोरोना संक्रमण पर बड़ी अहम बैठक

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दिया थ्री टी का मंत्र

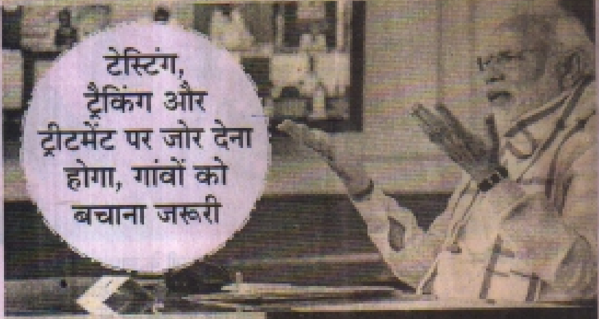

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल (ऑनलाइन) मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्यों को तीन टी का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि हमें देशभर में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर एक बार फिर से जोर देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों में संक्रमण की कई लहरें देखने को मिल रही हैं। हमारे यहां भी महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश, केरल, पंजाब जैसे राज्यों में केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें इसे रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। इन सबके बीच लोग हैरान-परेशान न हों हमें इसका भी बखूबी ध्यान रखना होगा।

प्रधानमंत्री ने इन तीन बातों पर दिया जोर...

1 **कोरोना संक्रमण की जांच में और तेजी लाएं :** पीएम ने राज्यों से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच जांच प्रक्रिया को और तेज करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को 70 प्रतिशत करने की जरूरत है। उन्होंने केरल, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश में [illegible] जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2 और 3 टियर शहरों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें इन्हें समय रहते रोकना होगा, वर्ना गांवों में मामले बढ़े तो संभालना मुश्किल हो जाएगा।

2 **वैक्सीनेशन ड्राइव को और गति दी जाए, वेस्टेज पर सतर्क रहें :** पीएम मोदी ने राज्यों से वैक्सीन के वेस्टेज पर भी आगाह रहने को कहा। मोदी ने कहा कि अब तक एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लग रहे हैं। ऐसे में हमें इसे और गति देने की जरूरत है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए जरूरी लगे तो वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा करीब 10 प्रतिशत तक पहुंच गया है। हमें वेस्टेज को रोकना होगा। उनकी एक्सपायरी डेट देखनी होगी। जो वैक्सीन पहले आई, उसका उपयोग पहले होना चाहिए।

पीएम मोदी की बढ़ती हुई चिंता कहीं आने वाले लॉकडाउन का संदेश तो नहीं..!

- महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश पर कोरोना के कहर पर विशेष नजर...
- मध्यप्रदेश में इंदौर-भोपाल सहित चार राज्यों में नाइट कर्फ्यू शुरू...

हालात नहीं सुधरे तो उज्जैन सहित 10 और शहरों में आ सकता है नाइट कर्फ्यू का फरमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग की। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों को थ्री टी का मंत्र दिया है। इसका अर्थ है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देना। यह सब तो ठीक है लेकिन मोदी ने इस बार खास करके गांव में कोरोना नहीं फैलने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि गांवों में कोरोना फैल गया तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिन चार - पांच राज्यों को प्रधानमंत्री ने कोरोना से अतिप्रभावित माना है, उनमें महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का नंबर है। मध्य प्रदेश में इंदौर ,भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उज्जैन का भी नंबर आ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने यहां दो बातें कहीं हैं। पहली तो यह कि पूर्व अनुभवों का लाभ लेना है और दूसरी यह के लोग डरें नहीं। भय का वातावरण नहीं बने। इसका भी ध्यान रखना है, परंतु जिस ढंग से पीएम ने चिंता जताई है, उससे यह महसूस हो रहा है कि यदि बहुत ही जल्द हालात नहीं सुधरे तो देश को एक और लॉकडाउन झेलना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देश में कुछ ऐसे शहर भी हैं जहां पिछले 15 दिनों में 150 प्रतिशत कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गांवों को लेकर हालात इस बार ज्यादा चिंताजनक बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फिलहाल पाबंदियां लगाने के मामले में राज्यों को ही अधिकार दिए हैं कि वे जरूरत के हिसाब से फैसले करें। यह और बात है कि हालात नहीं सुधरे तो समीक्षा का दौर जारी रहेगा यानी भविष्य में पीएम कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था और जो कोरोना का कहर था वह आमतौर पर बड़े शहरों को ही प्रभावित कर रहा था। इस बार लगता है कि छोटे शहर और कस्बे यहां तक कि गांव भी प्रभावित हो सकते हैं। इस बार विशेष सावधानी की जरूरत है। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश के इंदौर सहित 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। प्रदेश के उज्जैन, रतलाम सहित दस ऐसे भी शहर हैं जिनमें यदि तीन-चार दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों पर कंट्रोल नहीं हुआ तो वहां भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है। रात 10 बजे बाजार बंद होने का फरमान तो आ ही चुका है। यह बात डराने की नहीं है। दैनिक अवंतिका जो लिख रहा है उसका अर्थ डरना नहीं लेकिन यह बताना है कि प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से चिंता व्यक्त की है उसे देखते हुए इस बार विशेष सावधानी की जरूरत है।

3 **पाबंदियां खुद तय करें, जनता परेशान न हों इसका ध्यान रखें :** बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि संक्रमण रोकने के लिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले। हमें दवाई भी-कड़ाई भी का पालन करना होगा। इसके लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का कड़ाई से पालन करना और करवाना होगा। पीएम ने राज्यों में माइक्रो-कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। साथ ही सभी राज्यों से एक-दूसरे के साथ सतत संपर्क और जानकारी शेयर करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को इसके लिए खुद बैठकें करनी चाहिए।

कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव टलने की अटकलें

नगरीय निकाय चुनाव की राह में आरक्षण बना रोड़ा

● भोपाल, अग्निबाण संवाददाता।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव टलने के आसार बढ़ गए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ जैसा ही एक आदेश इंदौर खंडपीठ ने दिया है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि बार-बार एक ही वर्ग के लिए आरक्षण करना अन्य वर्ग को चुनाव से वंचित रखना है। निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया में रोटेशन पालिसी का पालन होना चाहिए। कोर्ट के इन आदेशों के बाद राज्य में नगरीय निकाय चुनाव एक बार फिर अटकने की अटकलें तेज हो गई हैं।

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना, उज्जैन की 2 नगर निगम सहित 81 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के महापौर-अध्यक्ष पद के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। आरक्षण को चुनौती देने वाली ऐसी ही एक याचिका पर इंदौर खंडपीठ ने फैसला सुनाया। एक पार्षद नरोत्तम चौधरी और एक पूर्व पार्षद सुरेन्द्र कुमार ने

अपनी याचिका में दलील दी थी कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षित की गई सीटों पर लंबे समय से चले आ रहे आरक्षण को दोहराया गया है। इसमें रोटेशन है ही नहीं। संविधान में व्यवस्था दी गई है कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। दोनों खंडपीठों में दायर याचिकाओं में यही बताया गया कि एक निकाय में लगातार एक ही वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है।

आरक्षण पर रोक के बाद क्या

अब सवाल उठ रहा है कि आरक्षण पर रोक के बाद नगरीय निकाय चुनावों का क्या होगा। हालांकि ग्वालियर खंडपीठ के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लगाने और अप्रैल में खंडपीठ को जवाब देने और रोक हटाने का आग्रह करने की बात कही है। लेकिन इंदौर खंडपीठ से भी ऐसा ही आदेश आने के बाद सरकार का रुख देखने वाला होगा। वैसे नगरीय विकास विभाग के मंत्री भूपेन्द्र सिंह का तर्क है कि आरक्षण तय करने में कोई त्रुटि नहीं हुई है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि ग्वालियर हो या इंदौर खंडपीठ दोनों की रोक के आदेश कुछ निकायों के लिए हैं, लिहाजा सरकार अपनी तरफ से शेष स्थानों पर चुनाव की तैयारियों में लगी है। एक अटकल यह भी है कि सरकार नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया करने की बात कर सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए, तो यह साफ है कि निकाय चुनाव में देरी होगी और निकाय चुनाव होने तक प्रशासकीय अफसरों के भरोसे चलते रहेंगे।

भोपाल में भी याचिका दायर करने की तैयारी

ग्वालियर और इंदौर खंडपीठ में आरक्षण में रोक के आदेश के बाद भोपाल में भी महापौर और पार्षद पद के लिए हुए आरक्षण को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी चल रही है। कुछ नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर की याचिकाओं के साथ अपनी याचिका लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। याचिका में रोटेशन पद्धति पर सवाल उठाया जाएगा कि भोपाल नगर निगम में अब तक महापौर का पद ओबीसी ओपन यानी हर ओबीसी के लिए क्यों आरक्षित नहीं किया गया। गौरतलब है कि अब तक दो बार ओबीसी महिला के लिए महापौर पद का आरक्षण हुआ है। लेकिन ओबीसी ओपन के लिए आरक्षण न होने पर रोटेशन पद्धति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव को लेकर जबसे आरक्षण प्रक्रिया चल रही है, तभी से इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिसंबर 2020 में कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेन्द्र गुप्ता ने छिंदवाड़ा निकायों में आरक्षण को लेकर सवाल उठाए थे, तब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा था कि यह कांग्रेस वाले आदिवासियों का भला होते नहीं देखना चाहते।

अग्निबाण - 17

स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण आज

रतलाम। स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिये 18 मार्च को सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में निर्वाचन की घोषणा से लेकर नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा, प्रतीक आवंटन और आदर्श आचरण संहिता के बारे में जानकारी दी जायेगी। सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजयसिंह ने बताया है कि प्रशिक्षण में कलेक्टर के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और दो जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स भी उपस्थित रहेंगे। प्रसारण

5 टंकियों से आज नहीं होगा जलप्रदाय

19 मार्च शुक्रवार को नियत समय पर होगा जलप्रदाय

प्रसारण न्यूज • रतलाम

खेतलपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 33 के.वी. उच्चदाब का विद्युत कनेक्शन होने से 16 मार्च मंगलवार को दोपहर 12 से सांय 7:30 बजे तक विद्युत प्रवाह बंद रहने के कारण धोलावाड़ के पम्प बंद रहे, जिससे गौशाला टंकी, गंगा सागर टंकी, महावीर नगर टंकी, गांधी नगर टंकी व ग्लोबस टंकी को भरने का कार्य प्रभावित हुआ, जिससे आज 18 मार्च गुरूवार को किया जाने वाला जलप्रदाय 19 मार्च शुक्रवार को नियत समय पर किया जाएगा।

गौशाला टंकी से सैनिक कालोनी, टीचर कॉलोनी, टाटा नगर, बाजना बस स्टैण्ड, जैन स्कूल के सामने, गौपाल गौशाला, धीरजशाह नगर गली नम्बर 1, चांदनी चौक, बोहरा बाखल, घांस बाजार, चौमुखी पुल, हनुमान रूण्डी, कसारा बाजार, सुनार बावड़ी, त्रिपोलिया गेट, लकड़पीठा, सुतारों का वास, मराठों का वास, ईदगाह, गौशाला रोड, राम भवन, टाटा नगर संपूर्ण, अमृत सागर, दीनदयाल नगर ए, बी, जी, एच, एम, बाजना बस स्टैण्ड, सिलावटों का वास, गवली मोहल्ला, खान बावड़ी, पोरवाड़ों का वास, सागर चबुतरा व ओझाखाली, गंगा सागर टंकी से लक्ष्मणपुरा, पी एन टी कॉलोनी, जवाहर नगर, जवाहर नगर सी कालोनी, जवाहर नगर ईएक्स कॉलोनी, जनता कालोनी, इंदिरा नगर, गोपाल नगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, राजीव नगर, ग्लोबस कॉलोनी, पुनम विहार अम्बर किराना मैन रोड, महावीर नगर टंकी से कुली कॉलोनी।

गांधी नगर टंकी से संपूर्ण गांधी नगर क्षेत्र, ग्लोबस टंकी से शिव नगर, सर्वोदय नगर, भारत गैस गोदाम के पास, राम नगर टैंकर रोड, कृष्णा विहार, विनोबा नगर झुग्गी झोपड़ी श्रद्धा नगर, भवानी नगर, बाणेश्वरी टैंकर रोड क्षेत्र में 18 मार्च गुरूवार को किया जाने वाला जलप्रदाय 19 मार्च शुक्रवार को नियत समय पर किया जाएगा।

दिक्कत • खेतलपुर एसटीपी के उच्चदाब कनेक्शन से धोलावड़ डेम के पंप बंद रहे

आधे शहर में नहीं बंटा पानी, आज भी पांच टंकी से नहीं हो पाएगा जलप्रदाय

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सीवरेज सिस्टम में खेतलपुर में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली कनेक्शन किए जाने के कारण शहर की जलप्रदाय व्यवस्था गड़बड़ा गई। बुधवार को गोशाला, गंगासागर, महावीर नगर और काटजू नगर टंकियों से जुड़े करीब आधे शहर में पानी नहीं बंटा। इन टंकियों से अब गुरुवार को जलप्रदाय होगा। वहीं जलप्रदाय को शेड्यूल में लाने के लिए नगर निगम ने गुरुवार को ब्रेकडाउन लिया है।

इस कारण 18 मार्च को गांधीनगर, ग्लोबस, गोशाला, गंगासागर और महावीर नगर टंकी से सप्लाई नहीं होगी। जलप्रदाय इंजीनियर सत्यप्रकाश आचार्य ने बताया 19 मार्च से गांधीनगर, ग्लोबस, गोशाला, गंगासागर और महावीर नगर टंकी से निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जलप्रदाय होने लगेगा।

यह स्थिति बनी : धोलावड़ डेम के पंप दोपहर 12 से शाम 7.30 बजे तक बंद रहे

दरअसल 33 केवी उच्चदाब कनेक्शन करने के लिए बिजली कंपनी को धोलावड़ डेम की लाइन बंद करना पड़ी। इससे मंगलवार को धोलावड़ डेम के पंप दोपहर 12 बजे से 7.30 घंटे बंद रहे। इसके बाद बिजली आई तो पंप चालू होने पर पानी शहर तक पहुंचने में दो घंटे लग गए। इस वजह से टंकियां नहीं भर पाईं।

बुधवार को यहां से नहीं बंटा पानी

- **गोशाला टंकी** - धानमंडी, चौमुखी पुल, खेरादीवास, लोहार रोड, शहरसराय, मोमिनपुरा, खटीक मोहल्ला, वेदव्यास कॉलोनी, राजेंद्र नगर, सुभाष नगर, गोशाला रोड, पटेल कॉलोनी, भांभी मोहल्ला, भुट्टा बाजार, कलीमी कॉलोनी,
- **गंगासागर टंकी** - जवाहर नगर, राजस्व कॉलोनी, नयागांव राजगढ़, टैगोर कॉलोनी, जनता नगर साई मंदिर, क्रिश्चियन कॉलोनी, ओल्ड ग्लोबस कॉलोनी, गणेश नगर, नेहरू नगर, राजू नगर, कोमल नगर, निराला नगर, महेश नगर, शिव नगर, सज्जन विहार, अपूर्वा व सखवाल नगर आदि
- **महावीर नगर टंकी** - जावरा रोड काजी खान की मस्जिद, आंबेडकर नगर, लोटस सिटी, महावीर नगर, रहमत नगर, संजय नगर, प्रताप नगर
- **काटजू नगर टंकी** - संपूर्ण काटजू नगर क्षेत्र।

गुरुवार को इन टंकियों से नहीं बंटेगा पानी

- **गोशाला टंकी** - सैनिक कॉलोनी, टीचर कॉलोनी, टाटा नगर, बाजना बस स्टैंड, चांदनी चौक, बोहरा बाखल, घास बाजार, चौमुखी पुल, हनुमान रूण्डी, कसारा बाजार, सुनार बावड़ी, त्रिपोलिया गेट, लक्कड़पीठा, सुतारों व मराठों का वास, टाटा नगर, अमृत सागर, दीनदयाल नगर ए, बाजना बस स्टैण्ड, सिलावटों का वास, खान बावड़ी, पोरवाड़ों का वास, ओझाखाली।
- **गंगासागर टंकी** - लक्ष्मणपुरा, पीएंडटी कॉलोनी, जवाहर नगर, सी कॉलोनी, जनता कॉलोनी, इंदिरा नगर, गोपाल नगर, राजीव नगर, ग्लोबस कॉलोनी
- **महावीर नगर टंकी** - कुली कॉलोनी
- **गांधी नगर टंकी** - संपूर्ण गांधी नगर क्षेत्र
- **ग्लोबस टंकी** - शिव नगर, सर्वोदय नगर, भारत गैस गोदाम के पास, राम नगर टैंकर रोड, कृष्णा विहार, विनोबा नगर झुग्गी झोपड़ी, श्रद्धा नगर, भवानी नगर।

जनहित याचिका

सीवरेज कार्य में मनमानी पर लगी जनहित याचिका, जबलपुर में होगी सुनवाई

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इंदौर खंडपीठ में ये याचिका दायर की थी, लेकिन जबलपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ में याचिका विचाराधीन होने से रतलाम की याचिका की सुनवाई भी अब वहीं होगी। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन दे दिया है।

रतलाम का सीवरेज प्रोजेक्ट में शुरू से गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। इससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं तथ्यों को लेकर बैंक कालोनी निवासी मुस्तफा स्टेशनवाला एवं अभिभावक कपिल मजावदिया ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे दर्ज किया गया है।

शासन की ओर से यह है पक्षकार

शासन की ओर से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव एवं निगम आयुक्त, कलेक्टर रतलाम एवं सीवरेज प्रोजेक्ट ठेकेदार कंपनी को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता के अभिभावक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया कि इंदौर खंडपीठ में युगल बैंच के जज सुजाय पाल एवं शैलेन्द्र शुक्ला ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर जबलपुर में याचिका विचाराधीन होने पर समान प्रकृति का होने से इसे मुख्य खंडपीठ में स्थानांतरित करने को कहा था। जिस पर आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

मापदंडों से उलट कार्य बताया

याचिका में सीवरेज काम को मापदंडों से विपरीत बताया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उनमें भी बदलाव किए जाने से समस्या आएगी, क्योंकि सीवरेज प्लांट की संख्या 6 घटाकर 2 कर दी गई है। इस बात पर भी आपत्ति की गई है कि अक्टूबर 2017 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर जिन खामियों को दूर करने को कहा था, उन पर राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है।

सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर जनहित याचिका

रतलाम | रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट में मापदंडों के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाते हुए इंदौर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। प्रकरण की भी सुनवाई जबलपुर में होगी। अभिभावक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया मुस्तफा स्टेशनवाला और एडवोकेट कपिल मजावदिया ने जनहित याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में बताया है कि प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बदलाव कर दिए हैं जिससे समस्या आएगी।

जिले में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंताजनक

जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा। प्रदेश में बीते 24 घंटो में आये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सख्या देखते हुए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इस बीच मंगलवार को रतलाम जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज समाने आ चुके है।

प्रशासनिक बुलेटिन के अनुसार आज रतलाम के चोमूखी पुल ,दीनदयाल नगर, वरदान नगर, कस्तूरबा नगर, रेल नगर, हनुमान मंदिर के पास देवरा देवनारायण, मंगल मूर्ति, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, फीगंज, गुलमोहर कॉलोनी,शहर सराय, राजपूत बोर्डिंग कंपाउंड, सज्जन मिल के पास, सिलावटों का वास, तोप खाना रोड, शास्त्री नगर, सांवरिया रुंडी ,बजाज खाना, जावरा ग्राम खारी क्षेत्र मिलाकर करीब 29 व्यक्तियों के सैंपल पॉजिटिव मिले है।

129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

कोविड 19 बीमारी को वैश्विक महामारी के रुप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान में रतलाम शहर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमण की रोकथाम हेतु शहर में बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के दस दल गठित किए गए है, जो शहर के थाना क्षेत्रवार में चालानी कार्यवाही करेंगे। इसी तारतम्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त

रुप से चालानी कार्यवाही करते हुए बिना मास्क के पाए गए 53 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड आरोपित किए गए। 16 मार्च को शहर में 129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री अभिषेक गहलोत ने बताया कि इस प्रकार यदि अब कोई व्यक्ति रतलाम शहर में कोविड 19 की गाईड लाईन का पालन नहीं करता है तो उन्हें अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी।

तीन करोड़ राशन कार्ड रद करना गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने कहा– करेंगे सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने देश में करीब तीन करोड़ राशन कार्ड निरस्त किए जाने को गंभीर मामला बताया है। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार एवं सभी राज्यों से जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद कर दिए गए। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एसी बोपन्ना व जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की बेंच ने बुधवार को कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ता कोयली देवी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि याचिका एक बड़े मामले को उठाती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मेरे सामने इसी प्रकार का मामला आया था। मुझे लगता है कि यह मामला संबंधित हाई कोर्ट में दायर किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही बेंच ने वकील से कहा कि उन्होंने मामले का दायरा बढ़ा दिया है।

सुनवाई के दौरान गोंजाल्विस ने दलील दी कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि केंद्र ने करीब तीन करोड़ राशन कार्ड रद कर दिए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह किसी अन्य दिन मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि गोंसाल्वेस ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड रद कर दिए हैं। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने कहा कि गोंसाल्वेस ने यह गलत बयान दिया कि केंद्र ने राशन कार्ड रद कर दिए हैं। इस पर बेंच ने कहा कि हम आपसे (केंद्र से) आधार कार्ड मामले के कारण जवाब मांग रहे हैं। यह विरोधात्मक मुकदमा नहीं है। हम अंततः इस पर सुनवाई करेंगे। नोटिस जारी किए जाएं, जिन पर चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। नईदुनिया

सुनवाई

- पीठ ने कहा– इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए
- जस्टिस ने कहा– मामले पर अंतिम सुनवाई भी की जाएगी

याचिका में लगाए गए हैं आरोप

आधार से लिंक नहीं होने से रद कर दिए गए राशन कार्ड

यह है मामला

यह याचिका कोयली देवी ने दायर की है, जिसकी झारखंड में 11 साल की बेटी संतोषी की भूखे रहने के कारण 28 सितंबर, 2018 को मौत हो गई थी। संतोषी की बहन गुड़िया देवी मामले में संयुक्त याचिकाकर्ता है। याचिका में कहा गया है कि स्थानीय प्राधिकारियों ने उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण रद कर दिया था, जिसके कारण उनके परिवार को मार्च 2007 से राशन मिलना बंद हो गया था और पूरे परिवार को भूखे रहने पर मजबूर होना पड़ा था और उनकी बेटी संतोषी की भोजन नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई।

3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने पर जवाब-तलब

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने तीन करोड़ राशन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जुड़ने के कारण रद्द किए जाने को गंभीर मामला बताया है। नोटिस जारी कर केंद्र सरकार व सभी राज्यों से जवाब मांगा है। झारखंड निवासी कोयली देवी ने अर्जी दाखिल की। इसके अनुसार याची की बेटी संतोषी (11) की भूखे रहने से सितंबर, 2018 को मौत हो गई थी। याचिका में कहा गया, स्थानीय अधिकारियों ने उनका राशन कार्ड आधार से नहीं जुड़ने पर रद्द किया था। परिवार को मार्च 2007 से राशन मिलना बंद हो गया। उन्हें भूखा रहना पड़ा। इसी बीच संतोषी की मौत हो गई। पत्रिका

कोर्ट ने दो साल पहले भी मांगा था जवाब

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 9 दिसंबर, 2019 में वैध आधार कार्ड नहीं होने पर राशन आपूर्तियों से वंचित किए जाने के कारण लोगों की मौत के आरोप को लेकर सभी राज्यों से जवाब मांगा था।

तालाब के पास में बने स्थलों की आड़ में टीआईटी की जमीन पर था कब्जा

अमृत सागर तालाब के पास चली जेसीबी, युवक ने खुद पर तेल डाल अमले को रोका

पत्रिका

करंट इश्यू

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर के अमृत सागर तालाब के पास बने एक आश्रम और दरगाह की आड़ में करोड़ों रुपए कीमत की करीब 3 बीघा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को पुलिस-प्रशासन की टीम ने बुधवार को सख्ती से हटाया। कार्रवाई के दौरान यहीं पास में रहने वाले एक युवक द्वारा स्वयं के ऊपर तेल छिड़ककर आग लगाने का भी प्रयास किया गया जिसे पुलिसकर्मी ने पकड़ लिया और फिर थाने भेज दिया।

पुलिस और प्रशासन की टीम दोपहर में यहां पहुंची। उसके बाद आश्रम और दरगाह की आड़ में अवैध रूप से कब्जा कर रहने वाले लोगों को यहां से हटने के निर्देश दिए जिस पर लोग बिखर पड़े। कब्जेधारी जब यहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो विवाद की स्थिति भी बन गई। विवाद से निपटने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं कब्जा हटाए जाने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए थे।

आत्महत्या का प्रयास- कब्जे हटाए जाने के दौरान यहां पर रहने वाले फकीर नाम के एक व्यक्ति द्वारा कार्रवाई का विरोध करते हुए आत्महत्या करने के लिए स्वयं पर तेल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया लेकिन यह देख पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस से छूटने के लिए वह काफी देर तक मशक्कत करता रहा और पुलिसकर्मी भी उसे कसकर पकड़े रहे। बाद में पुलिस युवक को पकड़कर थाने ले गई।

टीआईटी ने काटे थे प्लॉट

जिस भूमि पर आश्रम की आड़ में कब्जा किया गया था, वहां पर वर्षों पूर्व टीआईटी ने प्लाट काटे थे और उन्हें बेचा गया था लेकिन यहां पर कब्जा करने वाले लोगों के द्वारा उन लोगों को कभी उक्त भूमि पर पैर तक रखे नहीं दिया जिसके चलते पीड़ितों के द्वारा कई बार उनके प्लॉट वापस दिलाए जाने की मांग को लेकर आवेदन दिए गए थे जिस पर अब सुनवाई हो सकी है।

3 बीघा से अधिक भूमि

तालाब के पास मुख्य रोड पर स्थित सर्वे 700 और 701 शासकीय भूमि होकर करीब 3 बीघा से अधिक थी जिस पर यहां आश्रम और दरगाह बनाकर उसकी आड़ में कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। प्रशासन की नजर में हुए उक्त भूमि करीब 8 करोड रुपए कीमत की है जबकि वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से यह भूमि करोड़ों की होना बताई जा रही है।

आए दिन सामने आ रहे थे विवाद

मुख्य मार्ग पर स्थित करोड़ों रुपए कीमत की भूमि पर लंबे समय से कुछ लोग नजरें गड़ाए बैठे थे। भूमि पर बने आश्रम में रहने वाले बाबा का करीब एक सप्ताह पूर्व निधन हो गया था। उसके बाद 12 मार्च को कुछ लोगों के द्वारा उक्त भूमि पर मौजूद लोगों पर पथराव कर दिया गया था जिसमें एक युवक को गंभीर चोट भी आई थी। आए दिन भूमि पर विवाद की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने बुधवार को यहां पहुंच कर कार्रवाई की।

रैन बसेरे में पहुंचाया परिवार को

अवैध कब्जे हटाए जाने के दौरान प्रशासन द्वारा यहां रहने वाले लोगों को सामान हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। जिन लोगों के पास काम करने के लिए लोग नहीं थे उनकी मदद के लिए नगर निगम की टीम द्वारा सामान उठाकर गाड़ी में रखा गया। इसके साथ ही इन लोगों को आगामी कुछ दिनों के लिए रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया है जिससे परेशानी का सामना ना करना पड़े।

प्रशासन आया हरकत में : आश्रम के समीप सभी अवैध अतिक्रमण पर चली जेसीबी

कार्यवाही के दौरान एक युवक ने किया खुद को आग लगाने का प्रयास

प्रशासन न्यूज़ * रतलाम

शिवरात्रि पर अमृत सागर तालाब के समीप स्थित फलाहारी बाबा के आश्रम हुए विवाद को लेकर प्रशासन बुधवार को हरकत में आया। प्रशासन ने आश्रम के समीप बने हुए एक दर्जन से अधिक अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद भूमि निगम को सौंप दी। मौके पर कार्यवाही से भड़के एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाने का प्रयास किया। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

जानकारी के अनुसार बीते 4 दिन पूर्व डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमृत सागर तालाब के समीप स्थित फलाहारी बाबा के आश्रम की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया था। जिसमे एक पक्ष के व्यक्ति को सर में गंभीर चोट आ गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आश्रम और उसके पास ही बनी एक दरगाह के समीप बने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान दरगाह के समीप रहने वाले परिवार के एक व्यक्ति ने अपने ऊपर केरोसिन डाल लिया और खुद को आग लगाने का प्रयास करने लगा।

इस दौरान मोके पर माणक चौक थाना प्रभारी अय्यूब खान, हाट चौकी प्रभारी आशीष पाल, रोशन राठौर ने युवक को पकड़ कर हिरासत में लिया। इस दौरान पुरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कार्यवाही के दौरान मौके पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान, तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया समेत शहर के सभी थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे।

मामला यह था

फलाहारी बाबा का आश्रम जिस भूमि पर स्थित है, उस भूमि पर कुछ लोग अवैध कब्जा करना चाहते है। आश्रम के स्थापित होने से उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से ये असामाजिक तत्व आश्रम समिति से जुड़े लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें डराने का प्रयास कर रहे है, जिससे कि आश्रम समिति से जुड़े लोग डर जाए और जमीन पर असामाजिक तत्व अवैध कब्जा कर सके। इस बीच शिवरात्रि पर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने बुधवार ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की।

31.4 लाख उत्तर प्रदेश

कोरोना का कहर: पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस

पत्रिका

इस वर्ष के रेकॉर्ड केस आए, मोदी बोले- दूसरी लहर पर लगाम जरूरी

ये आंकड़े डराते हैं...

150% बढ़ा संक्रमण देश के 70 जिलों में पिछले दो हफ्तों में

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

नई दिल्ली. कोरोना का कहर पुराने रूप में लौट रहा है। देश में बुधवार को इस साल के रेकॉर्ड 28,903 नए मामले सामने आए। 16 राज्यों के 70 जिलों में संक्रमण की दर पिछले दो हफ्तों के दौरान 150 फीसदी तक पहुंच गई है। देश के कुल एक्टिव केसों में से 60 फीसदी महाराष्ट्र में हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित किया।

मोदी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को जनता नहीं भूले। मोदी ने राज्यों में वैक्सीन के वेस्टेज (बर्बादी) पर भी चिंता जताई। उधर, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार तक राज्यों को टीके की 7 करोड़ 54 लाख खुराक भेजी जा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के नए केस बढ़ने की साप्ताहिक दर 43% नए केस और मौतों की दर में 37% इजाफा हुआ है।

मोदी ने सुझाया कोरोना के खिलाफ 'पंच'

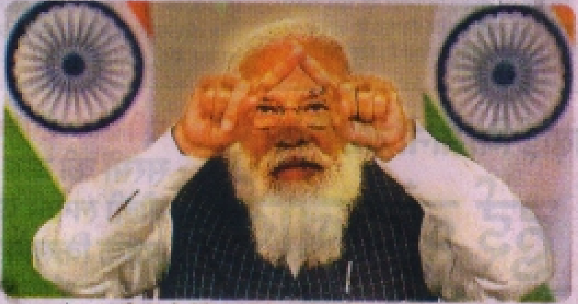

बुधवार को मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते प्रधानमंत्री मोदी।

1 जहां जरूरी हो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के विकल्प पर भी काम करना चाहिए।

2 कोरोना से जंग में आया आत्मविश्वास, लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए।

3 टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट को लेकर गंभीरता की जरूरत है। टीयर टू और टीयर थ्री के छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4 वैक्सीन वेस्टेज पर काबू पाया जाए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व यूपी में वेस्टेज ज्यादा है।

5 महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। इस पर काबू पाया जाए।

जयपुर से अमृतसर लौटे 20 छात्र पॉजिटिव

जयपुर में पिकनिक मना कर लौटे अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के 20 छात्र बुधवार को पॉजिटिव पाए गए हैं। छात्रों से पूछा है कि वे जयपुर में कहां ठहरे और उनके संपर्क में कौन-कौन आया।

अहमदाबाद: पार्क व चिड़ियाघर बंद रहेंगे

कोरोना संक्रमण पर रोक के मद्देनजर अहमदाबाद के सभी पार्कों को गुरुवार से आगामी आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही इस दौरान कांकरिया झील और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे।

पूर्व मंत्री गांधी का निधन

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी की दिल्ली के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। दिलीप गांधी कोरोना पॉजिटिव थे।

नो मास्क: चार विमान यात्रियों पर प्रतिबंध... जम्मू से दिल्ली जा रही अलायंस एयर की फ्लाइट में चार यात्रियों पर हिदायत के बावजूद मास्क नहीं पहनने पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है।

अब कोरोना का यूक्रेनी स्ट्रेन... ब्रिटेन, द अफ्रीका व ब्राजील में पाए गए कोरोना स्ट्रेन के बाद अब यूरोपीय देश यूक्रेन में भी कोरोना के नए स्ट्रेन का पता चला है। ये बेहद संक्रामक बताया जा रहा है।

मप्र: जरूरत पड़ी तो बनेंगे माइक्रो कंटेंटमेंट जोन

भोपाल. पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संक्रमण बढ़ने वाले 10 जिलों में माइक्रो लेवल तक सख्ती करने के निर्देश दिए। साथ ही बुधवार से भोपाल-इंदौर में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई। ग्वालियर-जबलपुर में रात 10 से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद करने पर भी अमल शुरू हो गया। आगे संक्रमण की समीक्षा के हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। सीएम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो माइक्रो स्तर पर कंटेंटमेंट जोन बनाए जाएंगे। उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि जहां भी जरूरत हो, वहां पाबंदियां बढ़ाई जाएं।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–अग्निबाण–पृष्ठ ..15.. दिनांक...17/03/..2021

होली से पहले शिवराज सरकार का तोहफा

कर्मचारियों के खाते में आएगी 75 प्रतिशत एरियर की राशि

भोपाल, अग्निबाण संवाददाता। मप्र में होली त्यौहार से ठीक पहले शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की एरियर की तीसरी एवं अंतिम किस्त की 75 प्रतिशत राशि जारी कर दी गई है। जो जल्द ही कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। वित्त विभाग ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक सरकार पर करीब 1400 करोड़ रुपए का भार आएगा।

दिवाली से पहले 25 प्रतिशत राशि का हो चुका है भुगतान

जानकारी के मुताबिक सरकार ने कोविड 19 के कारण 1 मई 2020 से देय एरियर की तीसरी एवं अंतिम किश्त का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया था। सरकार ने दीपावली त्यौहार से पहले अक्टूबर 2020 में 25 प्रतिशत राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया था। हालांकि इसके साथ सरकार ने अब सरकार ने सातवें वेतनमान के एरियर की अंतिम किस्त की 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि अक्टूबर माह में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एरियर की राशि का 50 प्रतिशत नगद भुगतान किया था। जबकि शेष 50 प्रतिशत राशि भविष्य निधि खाते में जमा की थी। इसके अलावा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 100 प्रतिशत राशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा कराई गई थी। लेकिन अब सरकार ने पूरी राशि नगद देने का निर्णय लिया है। बता दें कि सरकार सातवें वेतनमान की वार्षिक किस्त की राशि का भुगतान 2 पार्ट 1 मई 2018 और 1 मई 2019 को कर चुकी है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को एरियर से 20 प्रतिशत अंशदान काटने के बाद शेष राशि का भुगतान होगा। बता दें कि प्रदेश में वर्ष 2005 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती है।

अग्निबाण 01-17

7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त की शेष 75 प्रतिशत राशि के नगद भुगतान का आदेश जारी

भोपाल । राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के हित में सातवें वेतनमान की तीसरी किश्त के एरियर की शेष 75 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में राज्य शासन द्वारा एरियर की तृतीय और अंतिम किश्त की 25 प्रतिशत राशि का नगद भुगतान शासकीय सेवकों को किया गया था। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में शेष राशि के भुगतान का वादा किया था।समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय और अंतिम किश्त की शेष 75 प्रतिशत राशि का नियमानुसार अनिवार्य कटौत्रे पश्चात नगद भुगतान किया जायेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाता सदस्यों को देय राशि का अंशदाता तथा शासन के नियमानुसार अंशदान उपरान्त देय राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

लेख 17

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–अक्षरभारत–पृष्ठ 24 दिनांक 18/03/2021

दूसरी लहर को रोकना जरूरी

बढ़ते कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की वर्चुअल बैठक

नई दिल्ली, 17 मार्च. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से कहा है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर पर तुरंत काबू नहीं पाया गया तो कोविड-19 महामारी फिर से पूरे देश में फैल जाएगी.

नहीं तो महामारी फिर से पूरे देश में फैल जाएगी

उन्होंने राज्यों पर इस दिशा में सख्ती बरतने की अपील करते हुए कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने की नसीहत दी जिनसे आम लोगों के बीच भय का माहौल बन जाए. उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के स्तर पर सजगता और सख्ती के साथ-साथ जांच का दायरा भी बढ़ाना होगा. प्रधानमंत्री ने ये बातें पिछले कुछ दिनों से कोरोना पर बढ़ते मामलों पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के बाद अपने संबोधन में कहीं.

टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने पर जोर: पीएम ने मरीजों की तलाश करके उनमें संक्रमण की पुष्टि के लिए जांच करने और फिर उनका इलाज करने की प्रक्रिया पर जोर दिया. उन्होंने कहा, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं. हर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले को कम से कम समय में ट्रैक करना और RT-PCR टेस्ट रेट 70 प्रतिशत से ऊपर रखना बहुत अहम है. पीएम ने राज्यों से कहा कि वो छोटे शहरों में टेस्टिंग को बढ़ाएं. उन्होंने कहा, हमें छोटे शहरों में रेफरल सिस्टम और एम्बुलेंस नेटवर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा.

मोदी ने कहा कि देश में टीकाकरण अभियान भी जोरों से चल रहा है और एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का भी रेकॉर्ड बन गया है. उन्होंने देश के कुछ इलाकों में टीकाकरण की सुस्त गति पर सवाल उठाए. पीएम ने कहा, देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है.

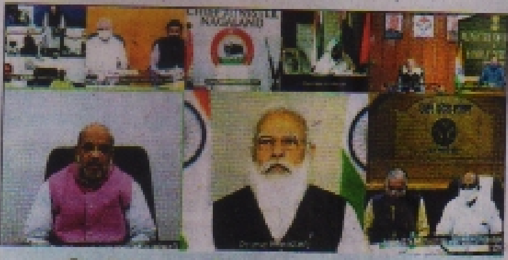

70 जिलों में 150 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा कोरोना

इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए. पीएम की इस मीटिंग में देश में कोविड के हालात पर प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि देश के 70 जिलों में कोरोना 150 प्रतिशत से ज्यादा कोरोना बढ़ा है. इसमें पश्चिमी भारत के ज्यादातर जिले हैं. महाराष्ट्र की हालत ज्यादा चिंताजनक है.

सिर्फ एंटिजन टेस्ट से नहीं चलेगा काम

प्रधानमंत्री ने एंटिजन टेस्टिंग पर ज्यादा भरोसा करने पर आपत्ति प्रकट की. पीएम ने कुछ राज्यों के नाम गिनाकर कहा कि इन राज्यों में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा, कई राज्यों में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग पर ही ज्यादा बल दिया जा रहा है और उसी भरोसे गाड़ी चल रही है, जैसे केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी. हमें देश के सभी राज्यों में आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर देना होगा.

अक्षरभारत

मास्क लगाये, सोशल डिस्टेन्सिग का करें पालन

रतलाम। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करते हुए मास्क का उपयोग अनिवार्यत: करें। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले कोरोना संक्रमित मरीजों में वृद्धि होने से हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जिले में वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है।

अक्षरभारत

सीवरेज प्रोजेक्ट में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका दायर, जबलपुर में होगी सुनवाई

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट में की जा रही गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इंदौर खंडपीठ में ये याचिका दायर की थी, लेकिन जबलपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ में याचिका विचाराधीन होने से रतलाम की याचिका की सुनवाई भी वहीं होगी। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन दे दिया है।

रतलाम का सीवरेज प्रोजेक्ट आरंभ से गड़बड़ियों का शिकार रहा है। इससे आम जनमानस को ना केवल अभी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अपितु भविष्य में कई परेशानियां देखना पड़ सकती है। इन्हीं तथ्यों को लेकर बैंक कालोनी निवासी मुस्तफा स्टेशनवाला एवं एडवोकेट कपिल मजावदिया ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे याचिका क्रमांक 18002-20 पर दर्ज किया गया है। इस याचिका में मध्य प्रदेश शासन की और से नगरीय विकास एव आवास विभाग के प्रमुख सचिव एवं नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर रतलाम एवं सीवरेज प्रोजेक्ट का काम कर रही ठेकेदार कपंनी जय वरूडी इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता के अभिभाषक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया कि इंदौर खंडपीठ में युगल बैंच के जज सुजाय पाल एवं शैलेन्द्र शुक्ला ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर जबलपुर में याचिका विचाराधीन होने पर समान प्रकृति का होने से इसे मुख्य खंडपीठ में स्थानांतरित करने को कहा था। याचिकाकर्ताओं की और से इस पर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिका में रतलाम में हो रहे सीवरेज के काम को मापदंडों से विपरीत बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उनमें भी बदलाव किए जाने से समस्या आएगी,क्योंकि सीवरेज प्लांट की संख्या 6 घटाकर 2 कर दी गई है।

याचिका में इस बात पर भी कड़ी आपत्ति की गई है कि अक्टूबर 2017 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर जिन खामियों को दूर करने को कहा था, उन पर राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नही की है। इससे शहरवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

शासन ने माना बेतरतीब तरीके से हुआ कार्य

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम में सीवरेज कार्यों का निरीक्षण कर 2 अक्टूबर 2017 को जो प्रतिवेदन दिया। उसमें स्पष्ट लिखा था कि बेतरतीब तरीके से कार्य किए जाने की स्थिति परिलक्षित हुई है। इस प्रतिवेदन में कई तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिए थे कि जब तक उपकरण पूरे नहीं हो, तब तक नई खुदाई नहीं की जाए, लेकिन इसके बाद भी सभी नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार ने कार्य किया। प्रमुख अभियंता ने स्तरहीन कार्य को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए थे, लेकिन उनका भी पालन नहीं हुआ।

इस प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख था कि नगर निगम के इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी। यदि एक महीने में सारी स्थिति को ठीक नहीं करता है, तो उसका ठेका निरस्त किया जाए और प्रावधान अनुसार उसके विरूद्ध पेनल्टी लगाई जाए, मगर लेकिन नगर निगम द्वारा जिम्मेदारी दिए जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

सूचना के अधिकार पर भी याचिका लंबित

नगर निगम रतलाम के खिलाफ सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर सूचना के अधिकार पर भी उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। एडवोकेट कपिल मजावदिया द्वारा इस संबंध में जो जानकारी मांगी गई थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग ने निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई। इससे असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

प्रसारण

कोरोना अलर्टः आज से रात 10 बजे बाद नहीं खुले रहेंगे बाजार

बिना मास्क वालों पर पूरे शहर में हुई चालानी कार्रवाई, नहीं माने तो अस्थाई जेल भेजेंगे

● रतलाम

लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं अब बुधवार रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश दे दिए गए है। इस दौरान सिर्फ बाजार बंद किए जाएंगे। प्रशासन द्वारा शहर सहित जिले भर में बिना मास्क वालों पर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को शहर के अलग-अलग स्थानों पर जिला प्रशासन एवं निगम कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की गई।

अग्निबाण-17

शहर में राजस्व विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग ने 10 टीमें बनाई है जो अलग-अलग जगहों पर तैनात रहेगी, फिलहाल मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करेंगे यदि लोग नहीं मानते हैं तो फिर स्थाई भेजने की कार्रवाई भी करेंगे। रतलाम के अलग-अलग क्षेत्रों में शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, नायब तहसीलदार पूजा भाटी सहित अन्य अधिकारियों ने चालानी कार्रवाई की।

129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही

बिना मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों पर निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों के दस दल द्वारा संयुक्त रूप से चालानी कार्यवाही करते हुए बिना मास्क के पाए गए 53 व्यक्तियों पर अर्थदण्ड आरोपित किए गए। 16 मार्च को शहर में 129 व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की गई। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि इस प्रकार यदि अब कोई व्यक्ति रतलाम शहर में कोविड 19 की गाईड लाईन का पालन नहीं करता है तो उन्हें अस्थायी जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी।

आज से रात दस बजे से सुबह छह बजे तक बाजार रहेंगे बंद

कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए राज्य शासन का फैसला

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

कोरोना के देशभर में बढ़ते केस को देखते हुए रतलाम सहित प्रदेश के 8 जिले में भी एक बार फिर से रात को सैर सपाटा करना बंद हो जाएगा। राज्य शासन की गाइड लाइन के बाद बुधवार से रतलाम जिले में भी पहले की ही तरह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे कर बिना किसी इमरजेंसी कारणों के घूमने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माने के अलावा पुलिस प्रकरण भी दर्ज कर सकती है।

कोरोना के मामलो में रतलाम में भी उछाल आ रहा है, जिसे देखते हुए मास्क पहनने पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि लोगों की शिकायत है कि कोरोना की जांच, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, बाजारों या बड़े शोरूम, मॉल आदि में सेनेटाईजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुल कर धज्जियां उड़ती है। ऐसे में केवल रात में आम लोगों पर सख्ती करने से कोरोना किस तरह रोका जा सकता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक ली जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बुधवार रात से भोपाल इंदौर में नाईट कर्फ्यू लगाया जाएगा।।

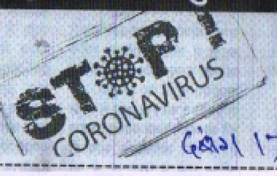

प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेगा। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद रहेगा।

वार्ड 14 व 41 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाने की हुई शुरूआत

17/3/21

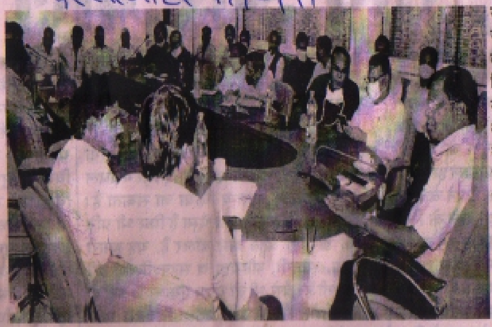

रतलाम । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 17, 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 17, 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता का देखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड क्रमांक 14 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के निर्देश दिये जिसके तहत 13 मार्च से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 14 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने के कार्य का निरीक्षण प्रातः क्षेत्रिय जनप्रतिनिधि, निगम अधिकारी, कर्मचारी आदि के साथ करीब 3 घन्टे तक किया गया। वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर प्रातः लगाये गये जिससे घर-घर से स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक लिया गया। अब तक नगर के 49 वार्डों में से 8 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित 12 मार्च को आयोजित बैठक में जीरो वेस्ट वार्डो में किये जा रहे कार्यो की नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों से सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इसके लिये सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये साथ ही अब तक जब्त की गई 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को जुलवानिया टेऊचिंग ग्राउण्ड पर ले जाकर नष्ट किया जाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्पॉट फाईन दल को यह भी निर्देश दिये कि नगर में बगैर मास्क के घुमने वाले व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन सख्ती से किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर को गारबेज फ्री सिटी बनाने के लिये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालो पर जुर्माना किये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि सभी सड़को की स्वीपिंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वीपिंग करवाई जाये साथ ही शहर के सार्वजनिक शौचालय, मुत्रालयों की नियमित धुलाई, सफाई, कीटनाशक दवा छिड़काव, प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

जीरो वेस्ट वार्ड 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19 व 41 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया।निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेऊचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लवस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री अरविन्द दशोत्तर, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, सिद्धार्थ सोनी, दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनील पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।

फिर 'गोले' में जिंदगी : तस्वीर राजधानी भोपाल के आजाद मार्केट की है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए गोले बना दिए हैं। - पत्रिका

कोरोना 2.0: नहीं संभले तो मुश्किल होंगे हालात

9 महीने पीछे पहुंचा मध्यप्रदेश

19 जुलाई को मिले थे 837 केस | 16 मार्च को पॉजिटिव 817 मिले

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर जैसे हालात हैं। संक्रमण की रफ्तार नौ महीने पहले यानी जुलाई 2020 जैसी है। मार्च 2020 में कोरोना की एंट्री के बाद 19 जुलाई को संक्रमण का आंकड़ा 800 के पार हुआ था। 15,985 जांच रिपोर्ट में 837 संक्रमित मिले थे, जबकि अब 16 मार्च को 15,688 लोगों की जांच में 817 मरीज मिले हैं।

बुरहानपुर में 6 ऐसे लोग सामने आए हैं, जो टीका लगने के बाद संक्रमित हो गए। इनमें डॉक्टर और एएनएम दोनों डोज ले चुके हैं, जबकि 3 पुलिसकर्मी व एक नगर निगमकर्मी ने पहला डोज लिया है। टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि दूसरा डोज लगाने के पहले ही यह लोग संक्रमित के संपर्क में आ गए। कई बार कोरोना 14 दिन के बाद सामने आता है।

इंदौर सीएमएचओ फिर बदले

इंदौर. बढ़ते कोरोना के बीच एक बार फिर सीएमएचओ बदल दिए गए हैं। एक मार्च को स्वस्थ होकर लौटे डॉ. प्रवीण जड़िया ने डॉ. पूर्णिमा गाडरिया से प्रभार वापस लेकर यह कुर्सी संभाली थी, लेकिन बुधवार को बदल दिए गए। अब बड़वानी के सिविल सर्जन डॉ. भूरेसिंह सेतिया बने को इंदौर सीएमएचओ का प्रभार सौंपा गया है।

पत्रिका

मापदंडों के विपरित बन रहा रतलाम का सीवरेज प्रोजेक्ट

जबलपुर हाईकोर्ट में होगी याचिका की सुनवाई

- सीवरेज प्रोजेक्ट में प्रारंभ से हो रही है गड़बड़ियां
- करोड़ों के प्रोजेक्ट के बावजूद नागरिकों को भविष्य में हो सकती है परेशानियां
- सीवरेज प्लांट की संख्या घटना से उपजी आशंकाएँ
- खामियों को दूर करने के नहीं हुए प्रयास
- ठेकेदार ने नियमों को ताक में रखकर किये हैं काम
- प्रमुख अभियंता के निर्देशों को रखा बलाए ताक

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट में की जा रही गड़बडियों को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इंदौर खंडपीठ में ये याचिका दायर की थी, लेकिन जबलपुर के सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ में याचिका विचाराधीन होने से रतलाम की याचिका की सुनवाई भी वहीं होगी। याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन दे दिया है।

रतलाम का सीवरेज प्रोजेक्ट आरंभ से गड़बडियों का शिकार रहा है। इससे आम जनमानस को ना केवल अभी समस्याओं का सामना करना पडा, अपितु भविष्य में कई परेशानियां देखना पड सकती है। इन्हीं तथ्यों को लेकर बैंक कॉलोनी निवासी मुस्तफा स्टेशनवाला एवं एडवोकेट कपिल मजावदिया ने उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी, जिसे याचिका क्रमांक18002-20 पर दर्ज किया गया है। इस याचिका में मध्य प्रदेश शासन की और से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव एवं नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर रतलाम एवं सीवरेज प्रोजेक्ट का काम कर रही ठेकेदार कपंनी, जय बरूडी इन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया हैं।

याचिकाकर्ता के अभिभाषक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया कि इंदौर खंडपीठ में युगल बैंच के जज सुजाय पाल एवं शैलेन्द्र शुक्ला ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर जबलपुर में याचिका विचाराधीन होने पर समान प्रकृति का होने से इसे मुख्य खंडपीठ में स्थानांतरित करने को कहा था। याचिकाकर्ताओं की और से इस पर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिका में रतलाम में हो रहे सीवरेज के काम को मापदंडों से विपरीत बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उसमें भी बदलाव किए जाने से समस्या आएगी,क्योंकि सीवरेज प्लांट की संख्या 6 घटाकर 2 कर दी गई है।

याचिका में इस बात पर भी कड़ी आपत्ति की गई है कि अक्टूबर 2017 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम के सीवरेज प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर जिन खामियों को दूर करने को कहा था, उन पर राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नही की है। इससे शहरवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

शासन ने माना बेतरतीब तरीके से हुआ कार्य

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने रतलाम में सीवरेज कार्यों का निरीक्षण कर 2 अक्टूबर 2017 को जो प्रतिवेदन दिया। उसमें स्पष्ट लिखा था कि बेतरतीब तरीके से कार्य किए जाने की स्थिति परिलक्षित हुई है। इस प्रतिवेदन में कई तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए प्रमुख अभियंता ने निर्देश दिए थे कि जब तक उपकरण पूरे नहीं हो, तब तक नई खुदाई नहीं की जाए, लेकिन इसके बाद भी सभी नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार ने कार्य किया। प्रमुख अभियंता ने स्तरहीन कार्य को सुधारने के लिए विभिन्न निर्देश दिए थे, लेकिन उनका भी पालन नहीं हुआ। इस प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख था कि नगर निगम के इंजीनियर की जिम्मेदारी होगी। यदि एक महीने में सारी स्थिति को ठीक नहीं करता है, तो उसका ठेका निरस्त किया जाए और प्रावधान अनुसार उसके विरूद्ध पेनल्टी लगाई जाए, मगर लेकिन नगर निगम द्वारा जिम्मेदारी दिए जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है।

सूचना के अधिकार पर भी याचिका लंबित

नगर निगम रतलाम के खिलाफ सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर सूचना के अधिकार पर भी उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। एडवोकेट कपिल मजावदिया द्वारा इस संबंध में जो जानकारी मांगी गई थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। इस संबंध में राज्य सूचना आयोग ने निर्देश दिए, लेकिन उसके बाद भी जानकारी नहीं दी गई। इससे असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। अवन्तिका।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– पत्रिका –––पृष्ठ 12 दिनांक 18/03/2021

बजाजखाना गणेश देवरी में आज से निगम का बकाया वसूली शिविर

-पत्रिका

रतलाम. नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे। इसी के अंतर्गत बजाजखाना व गणेश देवरी में गुरुवार से कर जमा करने का शिविर लगेगा। अब तक नागरिकों ने शहर में 59,76,144 रुपए संपत्तिकर व 13,04,160 रुपए जलकर जमा कराया। वार्ड 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–नईदुनीया–पृष्ठ 03 दिनांक 18/03/2021

सीवरेज प्रोजेक्ट पर जनहित याचिका दायर, जबलपुर में होगी सुनवाई

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सीवरेज प्रोजेक्ट में डाली जा रही पाइपलाइन, एसटीपी सहित अन्य निर्माणों को मापदंडों के विपरीत बताते हुए मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है।

बैंक कालोनी निवासी मुस्तफा स्टेशनवाला एवं एडवोकेट कपिल मजावदिया ने द्वारा दायर याचिका क्रमांक 18002-20 पर दर्ज की गई है। याचिका में नगरीय विकास एव आवास विभाग के प्रमुख सचिव, रतलाम नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर रतलाम एवं सीवरेज प्रोजेक्ट निर्माण कंपनी जय वरूडी इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया है।याचिकाकर्ता के अभिभाषक ऋषिराज त्रिवेदी ने बताया कि इंदौर खंडपीठ में डबल बेंच के जज सुजाय पाल एवं शैलेंद्र शुक्ला ने सीवरेज प्रोजेक्ट पर जबलपुर में याचिका विचाराधीन होने पर समान प्रकृति का होने से इसे मुख्य खंडपीठ में स्थानांतरित करने को कहा। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। याचिका में सीवरेज के काम को मापदंडों से विपरीत बताते हुए अवगत कराया गया कि प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज प्लांट की संख्या छह से घटाकर दो कर दी गई है। याचिका में इस बात पर भी कड़ी आपत्ति की गई है कि अक्टूबर 2017 में नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने निरीक्षण कर जिन खामियों को दूर करने को कहा था, उन पर राज्य शासन और स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नही की।

प्रमुख अभियंता ने माना था काम गलत किया

नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय के प्रमुख अभियंता ने सीवरेज कार्यों का निरीक्षण कर 2 अक्टूबर 2017 को दिए प्रतिवेदन में स्पष्ट लिखा था कि बेतरतीब काम किया गया है। प्रतिवेदन में कई तकनीकी खामियों का जिक्र करते हुए निर्देश दिए थे कि जब तक उपकरण पूरे नही हो, तब तक नई खोदाई नहीं की जाए, लेकिन इसके बाद भी सभी नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार ने कार्य किया। स्तरहीन कार्य को सुधारने के निर्देशों का भी पालन नहीं हुआ। समय सीमा में मानक स्तर पर काम पूरा कराने के लिए प्रतिवेदन में नगर निगम के इंजीनियर की जिम्मेदारी तय की गई थी। एक महीने में स्थिति ठीक नहीं होने पर ठेका निरस्त करने व पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए थे।

सूचना के अधिकार में जानकारी भी नहीं दी

सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर सूचना के अधिकार पर जानकारी नहीं देने पर उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है। एडवोकेट कपिल मजावदिया द्वारा इस संबंध में जो जानकारी मांगी गई थी, वह उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्य सूचना आयोग ने निर्देश दिए, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। इससे असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

नईदुनिया।